

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला योजना कार्यालय)

स्वीकृत्यादेश

dpomadth@gmail.com

03/11/2016

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 4511/यो0वि0 दिनांक 09.11.2012 तथा प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9811 दिनांक 07.11.2012 के आलोक में संवेदनशीलता आधारित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु दिनांक 17.11.2016 को सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक में चयनित कब्रिस्तानों का कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए किया गया है। तकनीकी अनुमोदन की राशि के आलोक में निम्न तालिका में उल्लेखित योजना के नाम के सामने योजनावार प्रथमिकता सूची निर्धारित करते हुए अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना द्वारा ज्ञापांक 3841 दिनांक 21.04.2016 द्वारा कुल- 30,00,000/- (तीस लाख रु0) कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को उपलब्ध कराया गया है। योजनाओं का कार्यान्वयन उपलब्ध राशि के आलोक में निम्नवत प्राथमिकता आधार पर कराया जाना है। संबंधित याजनाओ का स्थल जांच प्रतिवेदन संबंधित अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास मधेपुरा जिला से विवाद मुक्त एवं जमीन का किस्म कब्रिस्तान जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है जिसका खाता खेसरा एवं रकवा जो कि संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सरकारी भूमि घोषित है, जो निम्नवत है:-

क्र० सं०	प्रखंड	योजना का नाम	खाता एवं खेसरा	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग से प्राप्त आवंटन	निर्धारित समय सीमा
01	02	03	04	05	06	07	08
1	सिंहेश्वर	सबैला पंचायत मजरहट मंसूरी टोला में कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य।	खाता 1263 खेसरा 2024/2025 (सरकारी)	23,93,500	23,93,500	30,00,000	तीन माह
2	मधेपुरा	मिठाई मौजा पिठाई में कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य।	खाता 337 खेसरा 1141 (सरकारी)	11,86,000	11,86,000		तीन माह
3	घैलाढ़	अराहा महुआ दिघडा में कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य।	खाता 1893 खेसरा 2978 (सरकारी)	15,66,000	15,66,000		तीन माह
4	आलमनगर	सिंहार मधैली दियारा में कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य।	खाता 408 खेसरा 595 (सरकारी)	5,43,000	5,43,000		तीन माह
5	आलमनगर	पंचायत विषपट्टी विशुनपुर मुस्लिम टोला में पुराना कब्रिस्तान की घेराबंदी	खाता 418 खेसरा 516 (सरकारी)	8,97,500	8,97,500		तीन माह
6	आलमनगर	पंचायत नखुआ भागीपुर के भागीपुर गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी निर्माण कार्य।	खाता 890 खेसरा 852 (सरकारी)	40,14,000	40,14,000		तीन माह
7	कुमारखंड	पंचायत पुरैनी गांव के वार्ड नम्बर 05 में कब्रिस्तान की घेराबंदी निर्माण कार्य।	खाता 1061 खेसरा 865/814 (सरकारी)	24,53,000	24,53,000		तीन माह
8	कुमारखंड	पंचायत पुरैनी ग्राम में वार्ड नम्बर 01 में कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य।	खाता 1060 खेसरा 474 (सरकारी)	16,81,500	16,81,500		तीन माह
9	उदाकिशुनगंज	पंचायत नयानगर के तिवारीबासा में कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य।	खाता 414 खेसरा 2831 (सरकारी)	9,98,000	9,98,000		तीन माह
		कुल-		1,47,34,500	1,47,34,500	30,00,000	

मो0- एक करोड़ सैतालीस लाख चौतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

हस्ताक्षर -

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

नियम एवं शर्तें :-

- कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक 9811 दिनांक 07.11.2012 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे एवं योजना का कार्य लोक निर्माण संहिता के अद्यतन प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से करायेंगे।

2. योजना का क्रियान्वयन ससमय प्रारम्भ कर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
4. प्रायः ऐसा पाया जाता है, कि कार्य प्रारंभ के उपरांत भी योजना का एकरारनामा करने में विलम्ब किया जाता है। निदेश है कि कार्य प्रारंभ होने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा की सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाय।
5. योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा तथा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।
6. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता इस बात से भली-भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि योजना के कार्य स्थल की भूमि विवाद रहित एवं कब्रिस्तान का हो एवं इस योजना में विगत 5 वर्षों में उक्त स्थल पर किसी अन्य मद की राशि से योजना में कार्य नहीं किया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकार सहित संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में लाएँगे।
7. योजना प्रारम्भ के उपरांत ही कार्य स्थल पर योजना का साईन बोर्ड जिसमें योजना का नाम, मद का नाम, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, एकरारनामा की राशि, कार्य प्रारंभ की तिथि, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि, संवेदक का नाम एवं पता, तकनीकी विभाग का नाम अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे।
8. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य स्थल का फोटोग्राफ, कार्य के समय का फोटोग्राफ एवं योजना पूर्ण होने के उपरान्त योजना का फोटोग्राफ/विडियोग्राफी निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसे योजना अभिलेख के साथ संधारित करेंगे।
9. योजना से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अद्योहस्ताक्षरी को एवं गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को समयानुसार भेजना सुनिश्चित करेंगे।
10. उपलब्ध आवंटन का 60 प्रतिशत व्यय के उपरांत राशि की मांग विहित प्रपत्र में समेकित कर प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना से आवंटन की अधियाचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।
11. दिनांक 17.11.2016 को सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक द्वारा संवेदनशीलता आधारित 27 कब्रिस्तानों की सूची, पूर्ण की गई कब्रिस्तानों की सूची, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कब्रिस्तानों की सूची को जिला के वेबसाईट पर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

50 —

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 573/जि०यो०/दिनांक 29.11.2016

- प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ ।
- प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ संबंधित अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। किसी भी विवाद की स्थिति में विधिक कार्रवाई करते हुए अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाएँगे।
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई - मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।
29/11/16